

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

MINISTER-IN-CHARGE : CHIEF MINISTER, HARYANA


ADMINISTRATIVE SECRETARY : PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT. HARYANA
NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT.

Subject:- **ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF RENEWABLE
ENERGY DEPARTMENT, HARYANA NOW RENAMED AS
NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT FOR THE
YEAR 2015-16.**

In compliance of Haryana Government, instructions issued vide U.O.53/187/83-6 PP dated 07-12-1984, the Annual Administrative Reports of the Renewable Energy Department, Haryana now renamed as New & Renewable Energy Department for the year, 2015-16 (in English and Hindi) is brought before the Council of Ministers for its consideration.

Prior permission of the Hon'ble Chief Minister has been obtained on 07-03-2017 for placing this matter before the Council of Ministers.

Chandigarh, dated
15th March, 2017


(ANKUR GUPTA)

Principal Secretary to Govt. Haryana
New & Renewable Energy Department.

गोपनीय

ज्ञापन


कार्यभारी मंत्री : मुख्य मंत्री, हरियाणा
प्रशासनिक सचिव : प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

विषय:- अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा पुनःनामकरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा पुनःनामकरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी व अंग्रेजी) हरियाणा सरकार के अशा. क्रमांक 53/187/83-6 पीपी दिनांक 7-12-1984 द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना में मंत्री परिषद् के सम्मुख उनके विचारार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मंत्री परिषद् के सम्मुख रखने के लिए मुख्य मंत्री महोदय का अनुमोदन दिनांक 07-03-2017 को प्राप्त कर लिया गया है।

दिनांक, चण्डीगढ़
15 मार्च, 2017


(अंकुर गुप्ता)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2015-16.

During the year, a budget provision of Rs. 4946.80 lacs was earmarked against which an expenditure of Rs. 865.08 lacs was incurred by the Department of Renewable Energy to implement the various Renewable Energy and Energy Conservation programmes/ projects in the state.

A- POLICIES AND NOTIFICATIONS

(i) Haryana Solar Power Policy, 2016

The State Govt. formulated a Solar Power Policy which was launched on 08/03/2016 by Hon'ble Chief Minister in the Happening Haryana Global Investors Summit, 2016 organized on 7-8 March, 2016 at Gurgaon. This policy was notified vide No.19/4/2015-5 Power dated 14th March, 2016.

(ii) Notification on Mandatory installation of Rooftop Solar Power Plants.

Installation of Solar Photovoltaic Power Plant was made mandatory for various categories of buildings vide notification No.22/52/2005-5 Power dated 21st March, 2016.

(iii) Notification for Mandatory compliance of Energy Conservation Building Code.

Compliance of provision of the Energy Conservation Building Code (ECBC) was made mandatory for certain categories of commercial buildings having connected load 100 kW and above vide notification No.19/6/2016-5 Power dated 31st March, 2016.

(iv) Notification for deletion of Mandatory use of Solar Water Heating Systems.

The Haryana Govt., Renewable Energy Department, order No.22/52/2005-5 Power 29th July, 2015 was amended vide notification No.22/52/2005-5 Power dated 14th March, 2016 to delete mandatory use of Solar Water Heating Systems.

B- MW SCALE SOLAR POWER PROJECTS

During the year, HPPC allotted of Solar Power Projects of 188 MW capacity to Independent Power Producers (IPPs) (23 MW @ Rs.6.44 per

unit & 165 MW @ Rs.5.00 per unit). No Solar Power Plant was commissioned during the year.

C- OTHER SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMME

For implementation of the sanctioned capacity 5 MW from the MNRE, GOI, sanctions of rooftop grid connected solar power plants of 2.5 MW capacity Pvt. Sector were issued while project proposals of more than 2.5 MW for Govt. Sectors have been received. Under the 13th Finance Commission grant of Rs.22.67 crore, projects of about 1.6 MW capacity were sanctioned during the year 2015-16.

About 4.3 MW capacity rooftop solar power plants were installed in the State without subsidy.

During this year, 35 off grid Solar Power Plants of 235 kW were installed in the State.

D- SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME


Solar Water Heating Systems Programme and Solar Cooker Programme (Box / Dish) were implemented. During the year 2015-16, 333 nos. of Solar Water Heating Systems were installed in the State in Domestic Sector. 400 Dish Type Solar Cooker and 900 Box Type Solar Cooker were procured and distributed to promote energy conservation in cooking sector.

E- BIOMASS PROGRAMME

One biomass cogen project of 3.0 MW for captive use was commissioned during the year. The execution of 25 MW biomass/bagasse cogeneration projects at M/s Naraingarh Sugar Mill Ltd., Naraingarh was also in progress.

During the year 2015-16, the work of Renewable Energy Department was found to be satisfactory.

Dated Chandigarh, the
15th March, 2017


(ANKUR GUPTA)
Principal Secretary to Govt. of Haryana,
New & Renewable Energy Department.

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2015-16.

No. DRE/2016/..... During the year, for popularizing the applications of various non-conventional energy sources in the State, Solar Photovoltaic Programme, Solar Thermal Programme, Institutional Biogas Programme, and Biomass Programme etc. were taken up for implementation by the Department.

The Department has total staff strength of 152, out of which 119 posts are filled up and 33 posts remained vacant.

To implement various programmes of the Department, an expenditure of Rs. 403.3 lacs was incurred under the budget head "2810-Non-Conventional Sources of Energy, Plan / Non-Plan and budget head "3425-Rural Energy Programme State Plan & Non-Plan, an expenditure of Rs. 461.78 lacs was incurred.

1. ADMINISTRATIVE SET UP OF DEPARTMENT OF RENEWABLE ENERGY, HARYANA

To meet the expenditure of administrative set up of Department and HAREDA, under the budget head 2810-Plan & Non-Plan and 3425 Plan & Non-Plan an expenditure of Rs. 752.58 lacs was incurred.

2- POLICIES AND NOTIFICATIONS

(i) Haryana Solar Power Policy, 2016

The State Govt. formulated a Solar Power Policy which was launched on 08/03/2016 by Hon'ble Chief Minister in the Happening Haryana Global Investors Summit, 2016 organized on 7-8 March, 2016 at Gurgaon. This policy was notified vide 19/4/2015-5 Power dated 14th March, 2016. The Policy aims at setting up of Solar Power Projects of 3200 MW in the State by 2022.

(ii) Notification on Mandatory installation of Solar Rooftop Solar Power Plants.

To utilize available roof space for generation of solar power, installation of Solar Photovoltaic Power Plant was made mandatory for various categories of buildings vide notification No.22/52/2005-5 Power dated 21st March, 2016.

(iii) **Notification for Mandatory compliance of Energy Conservation Building Code.**

To take the potential of energy saving in building sector, compliance of the provisions of the Energy Conservation Building Code (ECBC) was made mandatory for certain categories of commercial buildings having connected load of 100 kW and above vide notification No.19/6/2016-5Power dated 31st March, 2016.

(iv) **Notification for deletion of Mandatory use of Solar Water Heating Systems.**

In view of growing utility of rooftop solar power plants, the Haryana Govt., Renewable Energy Department, order No.22/52/2005-5 Power 29th July, 2015 was amended vide notification No.22/52/2005-5 Power dated 14th March, 2016 to delete mandatory use of Solar Water Heating Systems. The available roofs shall now be utilized for solar power plants which have round the year utility as against solar water heating system which were needed only during winters.

3- **MW SCALE SOLAR POWER PROJECTS**

During the year, HPPC has allotted 188 MW of Solar Power Projects to Independent Power Producers (IPPs) (23 MW @ Rs.6.44 per unit & 165 MW @ Rs.5.00 per unit). No Solar Power Plant was commissioned during the year.

The Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India sanctioned the development of Solar Parks of 500 MW capacity in the State.

4. **OTHER SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMME**

For implementation of the sanctioned capacity 5 MW from the MNRE, GOI, sanctions of rooftop grid connected solar power plants of 2.5 MW capacity Pvt. Sector were issued while project proposals of more than 2.5 MW for Govt. Sectors have been received. Under the 13th Finance Commission grant of Rs.22.67 crore, projects of about 1.6 MW capacity were sanctioned during the year.

About 4.3 MW capacity rooftop solar power plants were installed in the State without subsidy.

During this year, 35 off grid Solar Power Plants of 235 kW were installed in the State.

(i) **Solar Water Pumps Programme**

During the year, State Govt. has earmarked Rs.644.00 lacs for the implementation of solar water pumping programme. A proposal to promote 3050 solar water pumps systems with 2 HP and 4.6 HP capacity was approved by the MNRE/GOI to provide central financial assistance of Rs. 4589.00 lacs.

(ii) **Solar Inverter Charger Programme**

Under this scheme, Department has proposed to install 1050 nos. of 300 watt & 500 Watt capacities small power packs to charge the batteries of existing inverters within State subsidy @ Rs.20/- Watt. The State Govt. has provided Rs.80.00 lac to implement the project for HAREDA. HAREDA has invited tender to arrange the rate contract for the supply for installation & commissioning of 3500 nos. Solar Inverter Chargers.

5. **SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME**

Under this category, Solar Water Heating Systems Programme and Solar Cooker Programme (Box / Dish), were being implemented.

(i) **Solar Water Heating Programme**

During the year, in domestic sector Rs. 38.90 lacs was provided as State subsidy to 333 nos. of beneficiaries of Solar Water Heating Programme.

(ii) **Solar Cooker Programme**

During the year, 900 nos. box type and 400 nos. Dish Type Solar Cookers were distributed to promote energy in cooking sector.

6. **BIOMASS PROGRAMME**

HAREDA is promoting following schemes to utilize the surplus biomass available in the State:-

(i) BIOMASS POWER PROJECTS

During the year, the two biomass projects namely 9.9 MW biomass power project at Village-Khurawata, Distt. Mahendergarh and 9.5 MW at Dhana Narsan, Bhiwani remained in operation.

(ii) BIOMASS COGENERATION PROJECTS

During the year, a project of 3.0 MW was commissioned in M/s Ashoka Distillers Chemicals Pvt. Ltd., Hathin, Palwal with a Central Financial Assistance @ Rs.60 lacs from Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India.

(iii) BAGASSE COGENERATION

During the year, the implementation of a 25 MW bagasse cogen project at M/s Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, Ambala was delayed and granted extension from 20.04.2015 to 20.07.2016.

7. SMALL HYDRO POWER PROJECTS

During the year, the small hydro projects at Musapur & Khukhni for the enhanced capacity of 0.7 MW each could not be commissioned though the civil work was completed due to poor condition of Augmentation Canal, the water discharge was less. Matter was taken up with Irrigation Deptt. for repairing of Augmentation canal. The Detailed Project Reports of Khajoori & Manmatti Small Hydro Projects on Augmentation Canal were pending with the Irrigation Department for approval. At the end of financial year, cumulative 9 small hydro projects of 73.50 MW capacity were commissioned in the State.

8. INSTITUTIONAL BIOGAS PLANTS PROGRAMME

In Haryana, HAREDA is implementing this scheme by installing institutional Biogas Plants in Goshala's, dairies, institutions having sufficient dung available. To promote the installation of IBP's, State Govt. is providing financial assistance @ 40% of the plant cost.

During the year, five institutional biogas plant of 425 Cu.M. were set up at following sites for which State subsidy amounting to Rs 15.48 lacs was provided:

Sr. No.	Site	Capacity
1.	Shri Krishan Goshala, Kanina	85 Cu.M.

2.	Shri Krishan Goshala, Bhodia Khera	85 Cu.M.
3.	Kamdhenu Gow Dham, Mewat	85 Cu.M.
4.	MDS Gosala, Dhobi	85 CU.M.
5.	Sh. Deepak Yadav, Vill. Hansaka	85 CU.M.

At the end of this financial year, total 1119 Institutional Biogas Plants of cumulative 7330 Cu.M. capacity were set up.

9. ENERGY CONSERVATION PROGRAMME

During the year, State Govt. vide order ref. No. 19/6/2016-5P dated 31-03-2016 issued directions for mandatory implementation of Energy Conservation Building Codes (ECBC) by certain categories of buildings having connected load of 100 KW and above. Department has also formulated a scheme to conduct free energy audit of Govt. Building. State level workshop on Energy Conservation Building Codes (ECBC) for Stake holders and Energy Conservation workshops for boiler operators was organized.

10. ENERGY CONSERVATION AWARDS

Under the Energy Conservation Award Scheme Awards are given to those consumers of Industrial, Commercial, Govt. / Semi Govt. Buildings and Educational Institutes sector who have excelled in adopting the various energy conservation measures in their buildings/ units to save electricity / fuel energy. The award money under this scheme is Rs. 0.50-2.00 lacs. During the year, Department has utilized Rs.8.00 lacs as State Level Energy Conservation Awards.

11. IT PLAN

Under the information technology policy, making use of computers and application software in the office and day to day working for smooth governance is to be promoted, accordingly to improve the implementation of various schemes/programmes being implemented by head office and district offices and to speed up the transformation of data/information among the district offices, the department is implementing IT Plan to have the latest software and updating budget is proposed in the Annual Plan.

During the year 2015-16, an expenditure of Rs.6.04 lacs was incurred for promoting of IT activities in the department. Also, the website of the department was updated regularly with latest schemes, tenders and other information about the new projects/schemes.

12. BAL URJA RAKSHAK MISSION (BURM)

To inculcate the Energy values and conservation habits in the young minds by encouraging learning through participation for promote a sustainable future the department has initiated the **Bal Urja Rakshak Mission (BURM)**.

13. ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN

The office building of the Department, based on energy efficient and Solar Passive technologies has been constructed at Sector 17, Panchkula. During the year, an amount of Rs.25.00 lacs was utilized for maintenance/housekeeping/visits of the building.

14. PUBLICITY & AWARENESS PROGRAMME

Under Publicity and awareness programme, during the year, a grant of Rs.28.63 lacs has been utilized for various publicity, activities.

15. INFORMATION REGARDING COMPLAINTS WITH THE VIGILANCE DEPARTMENT

A complaint against Sh. Sombir Singh, Project Officer and Sh. R.S.Poonia, Project Officer of this Department was pending with the Vigilance Department in which enquiry report has been received on 08-01-2016 vide which above Officers have been acquitted from all allegations. However, Sh.B.S. Golen, Project Officer, Sh. Jagir Singh, Project Officer, Sh. Ajit Kumar, Project Officer and Sh. Shriom Goyal, Assistant Project Officer were found prima facie guilty of some irregularities of having accepted the material with one meter length of bracket instead of 1.5 meter for holding the light assembly in the Solar Street Light Systems supplied by the firm. The Vigilance Department recommended to initiate action against them under rule -7 of Haryana Civil Services (P&A) Rules, 1987. But keeping in view the gravity of the allegations it was decided by the Govt. to initiate action against them under Rule-8 of Haryana Civil Services (P&A) Rules, 1987 which is under consideration.

Dated Chandigarh, the
15th March, 2017


(ANKUR GUPTA)

Principal Secretary to Govt. of Haryana,
New & Renewable Energy Department.

12. BAL URJA RAKSHAK MISSION (BURM)

To inculcate the Energy values and conservation habits in the young minds by encouraging learning through participation for promote a sustainable future the department has initiated the **Bal Urja Rakshak Mission (BURM)**.

13. ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN

The office building of the Department, based on energy efficient and Solar Passive technologies has been constructed at Sector 17, Panchkula. During the year, an amount of Rs.25.00 lacs was utilized for maintenance/housekeeping/visits of the building.

14. PUBLICITY & AWARENESS PROGRAMME


Under Publicity and awareness programme, during the year, a grant of Rs.28.63 lacs has been utilized for various publicity, activities.

15. INFORMATION REGARDING COMPLAINTS WITH THE VIGILANCE DEPARTMENT

A complaint against Sh. Sombir Singh, Project Officer and Sh. R.S.Poonia, Project Officer of this Department was pending with the Vigilance Department in which enquiry report has been received on 08-01-2016 vide which above Officers have been acquitted from all allegations. However, Sh.B.S. Golen, Project Officer, Sh. Jagir Singh, Project Officer, Sh. Ajit Kumar, Project Officer and Sh. Shriom Goyal, Assistant Project Officer were found prima facie guilty of some irregularities of having accepted the material with one meter length of bracket instead of 1.5 meter for holding the light assembly in the Solar Street Light Systems supplied by the firm. The Vigilance Department recommended to initiate action against them under rule -7 of Haryana Civil Services (P&A) Rules, 1987. But keeping in view the gravity of the allegations it was decided by the Govt to initiate action against them under Rule-8 of Haryana Civil Services (P&A) Rules, 1987 which is under consideration.

Dated Chandigarh, the
15th March, 2017

Principal Secretary to Govt. of Haryana,
New & Renewable Energy Department.


(ANKUR GUPTA)

प्रशासनिक

रिपोर्ट की समालोचना

इस वर्ष के दौरान अक्षय कर्जा विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न अक्षय कर्जा और कर्जा संरक्षण कार्यक्रमों / परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रावधान 4946.80 लाख ₹0 के समक्ष 865.08 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

क-

नीतियाँ और अक्षय कर्जा

(i) हरियाणा सौर कर्जा नीति, 2016

राज्य सरकार ने एक सौर कर्जा नीति, 2016 तैयार की जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 7-8 मार्च, 2016 को हैपनिंग हरियाणा लोवल इ-वेक्टर समित, 2016 के आयोजन के दौरान किया गया। यह नीति संख्या 19/4/2015-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा अक्षय कर्जा की गई है।

(ii)

छत पर आधारित सौर कर्जा संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना की अक्षय कर्जा

अक्षय कर्जा कमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के भवनों पर सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की अनिवार्य किया गया।

(iii)

कर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनिवार्य अनुपालन के लिए अक्षय कर्जा

अक्षय कर्जा कमांक 19/6/2016-5 विद्युत दिनांक 31 मार्च, 2016 अनुसार 100 कि.वा. या अधिक सन्वय भार वाले व्यावसायिक भवन की कुछ श्रेणियों के लिए कर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.पी.सी.) के प्रावधान के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है।

सौर घाटर हिटिंग सिस्टम काय्कम एवं सौर कुकर काय्कम(बावस/डिश) कियान्वित किये गए। वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य के सरल क्षेत्र में अनुदान पर 333 सौर घाटर हिटिंग सिस्टम स्थापित किये गए। खाना पकाने के क्षेत्र में ऊर्जा

घ- सौर तापीय ऊर्जा काय्कम

वर्ष के दौरान-राज्य में 235 किलोवाट क्षमता के 35 ऑफ गिड सौर विद्युत प्लांट लगाये गए।

लगाये गये हैं।
लागत 4.3 मैगावाट क्षमता के छत से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र बिना अनुदान के

रुकी है।
करोड़ के अनुदान के तहत लगभग 1.6 मैगावाट क्षमता की परियोजना स्वीकृत हो 5 मैगावाट से अधिक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 13वें वित्त आयोग से 22.67 ऊर्जा संयंत्र निजी क्षेत्र में लगाने की स्वीकृति जारी की गई जबकि सरकारी क्षेत्र में 2 क्षमता के कियान्वयन के लिए छत आधारित गिड से जुड़े 2.5 मैगावाट क्षमता के सौर नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार से 5.00 मैगावाट की मंजूर

ग- अन्य सौर फोटोवोल्टिक काय्कम

वर्ष के दौरान, हरियाणा बिजली खरीद कन्व (एच.पी.पी.सी.) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 188 मैगावाट के सौर ऊर्जा परियोजनाएँ आवंटित की (23 मैगावाट 6.44 रु. प्रति यूनिट की दर से और 165 मैगावाट 5.00 रु. प्रति यूनिट की दर से)। वर्ष के दौरान कोई सौर ऊर्जा परियोजना नहीं लगी।

ख- मैगावाट स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक. 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संशोधित करते हुए अधिसूचना क्रमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा सौर जल तापन प्रणाली के उपयोग की अनिवार्यता को हटाया गया है।


(iv) सौर जल तापन प्रणाली की अनिवार्यता को हटाने के लिए अधिसूचना

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये 400 डिश टाईप सौर कुकर और 900 बॉक्स टाईप सौर कुकर खरीदेकर गये बांटे गये।

ड- बायोमास कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, 3.0 मैगावाट क्षमता का एक बायोमास सह-उत्पादन परियोजना कमीशन की गई। मैं नारायणगढ़ चीनी मिल लि., नारायणगढ़ में 25 मैगावाट के बायोमास/खोई सह उत्पादन परियोजना का कार्य भी प्रगति पर था।

कुल मिलाकर वर्ष 2015-16 के दौरान अक्षय ऊर्जा विभाग का कार्य सन्तोषजनक रहा।


(अंकुर गुप्ता)

दिनांक चण्डीगढ़
15 मार्च, 2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

वर्ष 2015-2016 के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

क्रमांक: डी.आर.ई/2016/.....वर्ष के दौरान विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा उर्जा संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिये, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, संस्थागत बायोगैस तथा बायोमास कार्यक्रम इत्यादि क्रियान्वित किए गए।

विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 152 है। जिसमें से 119 पद भरे हुए हैं तथा 33 पद रिक्त हैं।

विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर बजट शीर्ष 2810-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अन्तर्गत राज्य योजना व गैर योजना से 403.3 लाख रुपये व शीर्ष 3425-ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम-योजना और गैर-योजना के अन्तर्गत 461.78 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई।

1. अक्षय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

वर्ष के दौरान विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर बजट शीर्ष 2810 और 3425 योजना और गैर-योजना से 752.58 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

2. नीतियाँ और अधिसूचनाएँ

(i) हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016

राज्य सरकार ने एक सौर ऊर्जा नीति, 2016 तैयार की है जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 7-8 मार्च, 2016 को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समित, 2016 के आयोजन के दौरान किया था। यह नीति 19/4/2015-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित की गई है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक राज्य में 3200 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित करना है।

(ii) छत पर आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना की अधिसूचना

छतों पर उपलब्ध स्थान का सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग करने के लिये अधिसूचना क्रमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 21 मार्च, 2016

द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना को अनिवार्य किया गया।

(iii) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनिवार्य अनुपालन के लिए अधिसूचना

भवन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण की क्षमता का दोहन करने के लिए, अधिसूचना क्रमांक 19/6/2016-5 विद्युत दिनांक 31 मार्च, 2016 अनुसार 100 किलोवाट या अधिक सम्बन्ध भार वाले व्यावसायिक भवनों की कुछ श्रेणियों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.बी.सी.) के प्रावधान के अनुपालन को अनिवार्य किया गया।

(iv) सौर जल तापन प्रणाली की अनिवार्यता को हटाने के लिए अधिसूचना

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक. 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संशोधित करते हुए अधिसूचना क्रमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा सौर जल तापन प्रणाली के उपयोग की अनिवार्यता को हटाया गया है।

3. मेगावाट स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 188 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजनाएँ आबंटित की (23 मेगावाट 6.44 रु. प्रति यूनिट की दर से और 165 मेगावाट 5.00 रु. प्रति यूनिट की दर से)। वर्ष के दौरान कोई सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित नहीं हुई।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी है।

4. अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार से 5.00 मेगावाट की मंजूर क्षमता के कियान्ययन के लिए छत आधारित ग्रिड से जुड़े 2.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र निजी क्षेत्र में लगाने की स्वीकृति जारी की गई जबकि सरकारी क्षेत्र में 2.

5 मैगावाट से अधिक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 13वें वित्त आयोग से 22.67 करोड़ के अनुदान के तहत लगभग 1.6 मैगावाट क्षमता की परियाजना स्वीकृत हो चुकी है।

लगभग 4.3 मैगावाट क्षमता के छत से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र बिना अनुदान के लगाये गये हैं।

वर्ष के दौरान राज्य में 235 किलोवाट क्षमता के 35 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत प्लांट लगाये गये।

(i) सौर जल पंप कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने सौर जल पंप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 644.00 लाख निर्धारित किये हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार 2 एचपी और 4.6 एचपी क्षमता के 3050 सौर जल पंप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 4589.00 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता को स्वीकृति प्रदान की।

(ii) सौर इन्वर्टर चार्जर कार्यक्रम

इस स्कीम के तहत, विभाग ने 300 वाट और 500 वाट क्षमता के 1050 स्माल पावर पैक मौजूदा इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज के लिए राज्य अनुदान के 20/-रु. प्रति वाट लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने परियोजना को हरेडा के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए 80.00 लाख रु. राशि उपलब्ध करवाई है। हरेडा ने 3500 सौर इन्वर्टर चार्जर स्थापित एवं कमीशनिंग की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध की व्यवस्था करने के लिए निविदा आमंत्रित किया है।

5. सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत सौर वाटर हीटिंग सिस्टम कार्यक्रम एवं सौर कुकर कार्यक्रम(वॉक्स/डिश) क्रियान्वित किये गए।

(i) सौर जल तापन कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, सौर जल तापन कार्यक्रम के तहत घरेलू क्षेत्र 333 लाभप्राप्तकर्ताओं को 38.90 लाख की राज्य अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई।

(49)

47

(ii) सौर कुकर कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, खाना बनाने के क्षेत्र में ऊर्जा की बचत के लिए 900 बाक्स टाईप एवं 400 डिश टाईप सौर कुकर वितरित किए गए ।

6. बायोमास कार्यक्रम

बायोमास के प्रयोग के लिए हरेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान गांव खुरावटा, जिला महेन्द्रगढ़ में एक 9.9 मेगावाट की बायोमास विद्युत परियोजना तथा धाना नरसन भिवानी में 9.5 मेगावाट की बायोमास परियोजनाएँ में विद्युत उत्पादन जारी रहा है ।

(ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान 3.0 मेगावाट की 1 परियोजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 80 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से मैसर्ज अशोका डिस्टलर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, हथीन, जिला पलवल में स्थापित की गई ।

(iii) खोई आधारित सह-उत्पादन

वर्ष के दौरान मैसर्ज नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़, अम्बाला में 25 मेगावाट की खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना के कार्य में विलम्ब हुआ एवं इसे 20.4.2015 से 20.7.2016 तक की विस्तार दिया गया ।

7. लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

वर्ष के दौरान, मूसापुर व खुखनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ी हुई क्षमता का कार्य नहर की खराब स्थिति एवं कम जल प्रवाह के कारण लम्बित रहा । नहर की मरम्मत हेतु मामला सिंचाई विभाग के समक्ष उठाया गया । खजूरी, मैनमति एवं अहमदपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सिंचाई विभाग की टिप्पणी अपेक्षित रही । वर्ष के अन्त तक राज्य में 73.50 मेगावाट की 9 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित थी ।

8. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम

हरियाणा में संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु उन संस्थानों जैसे गऊशाला, दुग्ध डेरी आदि में जहां गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह स्कीम हरेडॉ द्वारा लागू की जा रही है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

वर्ष के दौरान तीन संस्थागत बायोगैस संयंत्र 425 क्यूबिक मीटर क्षमता के लगाए गए जिस पर 15.48 रुपये राज्य अनुदान राशि के रूप दिए गए हैं। जो निम्न प्रकार है:-

क्रमांक संख्या	निर्माण स्थल	क्षमता
1.	श्री कृष्णा गौशाला, कनीना	85 क्यूबिक मीटर
2.	श्री कृष्णा गौशाला, भोदिया खेड़ा	85 क्यूबिक मीटर
3.	कामधेनू गौ धाम, मेवात	85 क्यूबिक मीटर
4.	एमडीएस गौशाला, धोबी	85 क्यूबिक मीटर
5.	श्री दीपक यादव, गांव हंसका	85 क्यूबिक मीटर

इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 7330 क्यूबिक मीटर क्षमता के कुल 1119 संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

9. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 19/6/2016-5 विद्युत दिनांक 31-3-2016 द्वारा 100 किलोवाट और उससे ऊपर का कुल भार वाली कुछ श्रेणियों के भवनों पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कियान्यवन को अनिवार्य के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये। विभाग ने सरकारी भवनों का मुफ्त ऊर्जा आडिट करने की भी एक स्कीम तैयार की है। स्टैक होल्डरों के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और वॉयलर ऑपरेटरों के लिए ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

10. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं

को अपने भवनों/इकाइयों में बिजली की बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रूपए से लेकर 2.0 लाख रूपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान, विभाग ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पर 8.00 लाख रूपये की राशि खर्च की है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए कम्प्यूटर तथा अन साफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/डाटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके, विभाग सूचना प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित कर रहा है। इसी कार्य हेतु विभाग द्वारा वार्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नई साफ्टवेयर एवं तकनीक के कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 6.04 लाख रु. की राशि खर्च की गई। विभाग की वेबसाईट को नवीतम स्कीमों के साथ नियमित रूप से अपडेट भी किया जाता है जैसे निविदा और अन्य नवीन परियोजनाएँ/स्कीमों के बारे में।

12. बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिये उसमें युवा वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। इसीलिये विभाग ने अपने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में छात्रों को सम्मिलित करने के लिये बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम तैयार किया है।

13. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

विभाग का कार्यालय भवन ऊर्जा कुशल और सौर निष्क्रिय प्रौद्योगिकियों पर आधार सैक्टर-17, पंचकूला में बनाया गया है। वर्ष के दौरान, भवन के रख-रखाव/गृह व्यवस्था/देख-रेख पर 25.00 लाख रूपये की राशि उपयोग की गई।

14. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार गतिविधियों पर 28.63 लाख रु. की धन राशि व्य की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

15. चौकसी विभाग को भेजी गई शिकायतों सम्बन्धी

इस विभाग के श्री सोमबीर सिंह, परियोजना अधिकारी और श्री आर.एस. पूनिया, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध एक जाँच / शिकायत लम्बित थी जिसकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 08-01-2016 को प्राप्त हो चुकी है जिसमें उक्त दोनों अधिकारियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, श्री वी.एस.गोलन परियोजना अधिकारी, श्री जगीर सिंह परियोजना अधिकारी, श्री अजीत कुमार परियोजना अधिकारी और श्री श्रीओम गोयल, सहायक परियोजना अधिकारी को फर्म द्वारा सौर पथ प्रकाश प्रणाली के एसेम्बल हेतु आपूर्ति के लिए ब्रैकेट 1.5 मीटर लम्बाई की बजाय एक मीटर लम्बाई के स्वीकार करने की अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टता से दोषी पाया गया। चौकसी विभाग ने इनके खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएँ (दण्ड एवं अपील), 1987 के नियम-7 के तहत कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। परन्तु सरकार ने आरोपों की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा इनके खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएँ (दण्ड एवं अपील), 1987 के नियम-8 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया जो विचाराधीन है।

दिनांक चण्डीगढ़
15मार्च, 2017

(अंकुर गुप्ता)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

वर्ष 2015-2016 के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अक्षय ऊर्जा विभाग राज्य में नवीनीकरण एवं गैर-पारम्परिक से संबंधित नीतियां बनाने एवं ऊर्जा के स्रोतों को लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान में यह सौर ऊर्जा, बायोगैस, माईको हाईड्रल, बायोमास ऊर्जा इत्यादि के उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत किये जा रहे हैं:-

- क. 2810-गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत (योजना एवं गैर योजना)
- ख. 3425-समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (योजना एवं गैर योजना)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार और हरेडा द्वारा उपलब्ध करवाई जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाने के लिए और कियान्वन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ऊर्जा अभिकरण (हरेडा) का गठन किया। यह एजेन्सी राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों/ परियोजनाओं को कियान्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। ये परियोजनाएं/कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:-

क. विद्युत परियोजनाएं

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह बायोमास, नगरीय कचरे, समाल हाईड्रोजे पर आधारित परियोजनाएं कियान्वित कर रहा है।

ख. बायो-एनर्जी कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह संस्थागत /मानव मलमूत्र आधारित बायोगैस कार्यक्रम, बायोमास एसेसमेंट परियोजना तथा बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम पर आधारित परियोजनाएं कियान्वित कर रहा है।

ग. सोलर थर्मल कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह सौर जल तापन प्रणाली एवं सोलर कुकर स्कीम (वाक्स/सामुदायिक/डिश टाईप) कियान्वित कर रहा है।

घ. सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत हरेडा सोलर लालटेन, सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली, सौर पथ प्रकाश प्रणाली, सोलर जल नलकूप प्रणाली और फोटोवोल्टिक गांव विद्युतीकरण स्कीम पर आधारित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

(i) बजट शीर्ष 2810 गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

क. राज्य योजना - भाग-1

1. अक्षय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के नाम से एक नया विभाग 19 सितम्बर, 1995 में स्थापित किया गया ताकि यह गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा एवं विकास की नीति और आवश्यक मापदण्ड के बारे सरकार को परामर्श दे सके और परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के क्रियान्वन के लिए योजना बनाएँ। विभाग में कुल 152 पद स्वीकृत हैं। अमला जो 31-3-2016 को कार्यरत था, का विस्तृत विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

(i) हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा)

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निदेशालय के विभिन्न कार्यक्रमों/ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपने स्तर पर या केन्द्र सरकार के विभिन्न वित्तीय विभागों/ एजेंसियों जैसे हरेडा/ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक, यूरोपियन आयोग, यूएनडीपी इत्यादि के वित्तीय सहयोग के साथ राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण में हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हरेडा में 26 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 14 पद भरे हुए हैं। 31-3-2016 तक हरेडा के अमले की स्थिति अनुबन्ध-3 पर है।

2. नीतियों और अधिसूचनाएं

(i) हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016

राज्य सरकार ने एक सौर ऊर्जा नीति, 2016 तैयार की जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 7-8 मार्च, 2016 को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समित, 2016 के आयोजन के दौरान किया गया। यह नीति संख्या 19/4/2015-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित की गई है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक राज्य में 3200 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित करना है।

(ii) छत पर आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना की अधिसूचना

छतों पर उपलब्ध स्थान का सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए अधिसूचना क्रमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों पर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना को अनिवार्य किया गया।

(iii) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनिवार्य अनुपालन के लिए अधिसूचना

भवन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण की क्षमता का दोहन करने के लिए, अधिसूचना क्रमांक 19/6/2016-5 विद्युत दिनांक 31 मार्च, 2016 अनुसार 100 किलोवाट या अधिक सन्बन्ध भार वाले व्यावसायिक भवनों की कुछ श्रेणियों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.बी.सी.) के प्रावधान के अनुपालन को अनिवार्य किया गया।

(iv) सौर जल तापन प्रणाली की अनिवार्यता को हटाने के लिए अधिसूचना .

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक. 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संशोधित करते हुए अधिसूचना क्रमांक 22/52/2005-5 विद्युत दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा सौर जल तापन प्रणाली के उपयोग की अनिवार्यता को हटाया गया।

विभाग एवं हरेडा द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का विवरण :

3. मैगावाट स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 188 मैगावाट के सौर ऊर्जा परियोजनाएँ आबंटित की (23 मैगावाट 6.44 रु. प्रति यूनिट की दर से और 165 मैगावाट 5.00 रु. प्रति यूनिट की दर से)। वर्ष के दौरान कोई सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित नहीं हुई।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने 500 मैगावाट क्षमता के सौर पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी है।

4. अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार से 5.00 मैगावाट की मंजूर क्षमता के कियान्वयन के लिए छत आधारित ग्रिड से जुड़े 2.5 मैगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र निजी क्षेत्र में लगाने की स्वीकृति जारी की गई जबकि सरकारी क्षेत्र में 2.5 मैगावाट से अधिक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 13वें वित्त आयोग से 22.67 करोड़ के अनुदान के तहत लगभग 1.6 मैगावाट क्षमता की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है।

लगभग 4.3 मैगावाट क्षमता के छत से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र विना अनुदान के लगाये गये हैं।

वर्ष के दौरान राज्य में 235 किलोवाट क्षमता के 35 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत प्लांट लगाये गये।

(i) सौर जल पंप कार्यक्रम

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके 21 जिलों का कुल क्षेत्रफल 44212 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। उर्जा किसी भी रूप में हो सबसे अधिक मूल्यवान होती है। विद्युत की आवश्यकता कृषि और उद्योग में आई कान्ति के फलस्वरूप बढ़ गई है। परम्परागत स्रोतों से ये आवश्यकता पूरी करना कठिन हो रहा है क्योंकि ये स्रोत समाप्त हो रहे हैं। गैर-परम्परागत स्रोत अत्याधिक अधिक मात्रा में उपलब्ध है और उर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। मध्य एवं निम्न दर्जे के किसान सिंचाई के

लिये डीजल पम्पों का प्रयोग कर रहे हैं ये पम्प वातावरण को दूषित करते हैं। सौर उर्जा चलित पम्प इस प्रकार से किसानों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं एवं वे वातावरण के अनुकूल हैं।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने सौर जल पंप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 644.00 लाख निर्धारित किये हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार 2 एचपी और 4.6 एचपी क्षमता के 3050 सौर जल पंप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 4589.00 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की।

(ii) सौर इन्वर्टर चार्जर कार्यक्रम

विभाग राज्य में पावट कट के दौरान गांव तथा शहरी क्षेत्रों में प्रकाश एवं विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए बिजली को पूरा करने के उद्देश्य से सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। राज्य में बिजली कटौती के दौरान बिजली बैकअप के लिए पारंपरिक घरेलू इन्वर्टर बहुत लोकप्रिय है जो इन्वर्टर लम्बे बिजली कट के कारण चार्ज नहीं होते। एक छोटा सौर ऊर्जा पैक मौजूदा घरेलू इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज का सर्वोत्तम विकल्प है। यह सौर ऊर्जा पैक दिन के समय सूर्य की किरणों से पारंपरिक इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करेगा।

इस स्कीम के तहत, विभाग ने 300 वाट और 500 वाट क्षमता के 1050 स्माल पावर पैक मौजूदा इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज के लिए राज्य अनुदान के 20/-रु. प्रति वाट लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने परियोजना को हरेडा के माध्यम से क्रियान्वन के लिए 80.00 लाख रु. राशि उपलब्ध करवाई है। हरेडा ने 3500 सौर इन्वर्टर चार्जर स्थापित एवं कमीशनिंग की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध की व्यवस्था करने के लिए निविदा आमंत्रित किया है।

5. सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत सौर वाटर हिटिंग सिस्टम कार्यक्रम एवं सौर कुकर कार्यक्रम(बॉक्स/डिश) क्रियान्वित किये गए हैं।

(i) सौर जल तापन कार्यक्रम

सौर गीजर प्रौद्योगिक पारंपरिक उर्जा संरक्षण के लिए सबसे व्यवहार्य नवीकरणीय उर्जा प्रौद्योगिक में से एक है। एक 100 लिटर प्रतिदिन सौर गीजर सालाना 1500 यूनिट बिजली बचाता है और इससे वातावरण में सालाना उत्सर्जित होने वाली 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचा जा सकता है। विभाग की तरफ से घरेलू और सामाजिक क्षेत्र में सौर गीजर को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि प्रदान की

जाती है। इसके अलावा तीन साल तक रू 100/- प्रति 100 लिटर प्रतिदिन तक से लेकर 300 लिटर प्रतिदिन बिजली के बिल में भी छुट दी जाती है। वर्ष 2015-2016 में राज्य सरकार ने सौर घरेलू क्षेत्र के सौर गीजर (एफ0 पी0 सी0) क्षेत्र में अनुदान राशि रू 3000/- प्रति वर्ग मीटर, क्षेत्र से लेकर रू 18,000/- तक सभी हरियाणा निवासियों तथा हरियाणा के सभी कर्मचारियों जो चण्डीगड में रहते हों उनको दी गई थी। सौर गीजर (ई0 टी0 सी0) अनुदान राशि रू 1000/- प्रति वर्ग मीटर से रू 4500/- तक प्रदान की गई थी। सामाजिक क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा 40 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध थी।

वर्ष के दौरान, सौर जल तापन कार्यक्रम के तहत घरेलू क्षेत्र 333 लाभप्राप्तकर्ताओं को 38.90 लाख की राज्य अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई।

(ii) सौर कुकर कार्यक्रम

खाना पकाने के ईंधनों की बढ़ती हुई कीमतों एवं घटते हुये वन क्षेत्र को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि खाना पकाने के क्षेत्र में भी अक्षय उर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाये। घरेलू एवं सामुदायिक खाना बनाने की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सोलर कुकर एक बहुत ही उपयोगी विकल्प है। सूर्य की उर्जा से खाना बनाने की दो विधियों हैं, बाक्स टाईप कुकर व और डिश टाईप कुकर।

वर्ष के दौरान, 900 बाक्स टाईप एवं 400 डिश टाईप सौर कुकर वितरित किए गए।

6. बायोमास कार्यक्रम

निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अक्षय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा नीति 2016 घोषित की गई थी। राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास की गणना के लिए हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, हिसार के द्वारा एक अध्ययन कराया गया था। इस अतिरिक्त बायोमास के प्रयोग के लिए हरेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएं

इस तकनीक के तहत कृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरवाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को स्टेट

ग्रिड में भेजा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरेडा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा बायोमास विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है।

वर्ष के दौरान गांव खुराबटा, जिला महेन्द्रगढ़ में एक 9.9 मेगावाट की बायोमास विद्युत परियोजना तथा धाना नरसन भिवानी में 9.5 मेगावाट की बायोमास परियोजनाएं में विद्युत उत्पादन जारी रहा है।

(iii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएं

इस तकनीक में भी कृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को ट्रांसफार्मर द्वारा अपग्रेड करके स्टेट ग्रिड में भेजा जाता है तथा भाप का भी प्रयोग प्रसंस्करण में किया जाता है। बायोमास सह-उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों में जहां औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये भाप की आवश्यकता होती है वहां अधिक दबाव पर भाप की जाती है जिससे पहले बिजली पैदा की जाती है तथा उसके बाद भाप का प्रयोग उद्योग में किया जाता है।

वर्ष के दौरान 3.0 मेगावाट की 1 परियोजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 60 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से मैसर्ज अशोका डिस्टलर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, हथीन, जिला पलवल में स्थापित की गई।

(iii) खोई आधारित सह-उत्पादन

चीनी उद्योग के लिए अपना लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सह-उत्पादन तकनीक बहुत उपयोगी है क्योंकि चीनी उत्पादन के लिए आवश्यक भाप से पहले बिजली पैदा की जाती है। अधिक मात्रा में उत्पादित बिजली को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (हर्क)द्वारा निर्धारित दरों पर ग्रिड में भेजा जा सकता है जिससे चीनी मिल के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत पैदा होता है।

वर्ष के दौरान मैसर्ज नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़, अम्बाला में 25 मेगावाट की खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना के कार्य में विलम्ब हुआ एवं इसे 20.4.2015 से 20.7.2016 तक की विस्तार दिया गया।

7. लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

इस तकनीक के अन्तर्गत बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन चलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है तथा उत्पादित बिजली को ग्रिड में उपयोग हेतु भेज दिया जाता है।

जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण एवं प्राकृतिक स्रोतों की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता एवं जल भी व्यर्थ नहीं जाता। हरियाणा को यमुना नदी के अलावा किसी भी दूसरी नदी को बारहमासी नदी का वनदान नहीं है। हरियाणा के पास एक बड़ा नहरी जाल है जो यमुना व सतलुज से पानी लेकर सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है। हरियाणा में, लगभग 90 मैगावाट बिजली उत्पन्न करने की वर्तमान क्षमता है। हरेडा ने प्रत्येक संभावित स्थान पर संभावित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया है। लघु जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नव एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार 1000 किलोवाट क्षमता तक की परियोजनाओं पर रुपये 12000/किलोवाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता देती है। 1 मैगावाट से 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं तक 1.20 करोड़ प्रथम मैगावाट + रुपये 20.00 लाख प्रत्येक अतिरिक्त मैगावाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता है।

वर्ष के दौरान, मूसापुर व खुखनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ी हुई क्षमता का कार्य नहर की खराब स्थिति एवं कम जल प्रवाह के कारण लम्बित रहा। नहर की मरम्मत हेतु मामला सिंचाई विभाग के समक्ष उठाया गया। खजूरी, मैनमति एवं अहमदपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सिंचाई विभाग की टिप्पणी अपेक्षित रही। वर्ष के अन्त तक राज्य में 73.50 मेगावाट की 9 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित थीं।

8. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम

बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, धुआं एवं कालिखरहित ईंधन है जिसमें 55 से 70 प्रतिशत मिथेन गैस होती है जो ज्वलनशील है। बायोगैस मवेशियों के गोबर, मानवीय मलमूत्र एवं जैविक पदार्थों से बायोगैस संयंत्र में डाइजेशन प्रोसेस द्वारा उत्पन्न होती है। जिससे सामान्यतः गोबरगैस के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से गोबर के उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। यह एक ही समय में खाना पकाने एवं बिजली बनाने दोनों में ही मदद करता है। इसके विपरीत महिलाओं एवं बच्चों को गोबर इकट्ठा करने एवं जलाऊ लकड़ी के भारी बंडलों को ढोने जैसे कठिन परिश्रम से भी बचाया जा सकता है। रसोईघरों में होने वाले धुएं एवं खाना बनाने में लगने वाले अधिक समय को भी बचाया जा सकता है। इस संयंत्रों के लगाने से शहरों एवं गावों की स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है।

हरियाणा में संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु उन संस्थानों जैसे गऊशाला, दुग्ध डेरी आदि में जहां गोबर प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह स्कीम हरेडा द्वारा लागू की जा रही है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

वर्ष के दौरान तीन संस्थागत बायोगैस संयंत्र 425 क्यूबिक मीटर क्षमता के लगाए गए जिस पर 15.48 रुपये राज्य अनुदान राशि के रूप दिए गए हैं। जो निम्न प्रकार है:-

क्रमांक संख्या	निर्माण स्थल	क्षमता
1.	श्री कृष्णा गौशाला, कनीना	85 क्यूबिक मीटर
2.	श्री कृष्णा गौशाला, भोदिया खेड़ा	85 क्यूबिक मीटर
3.	कामधेनू गौ धाम, मेवात	85 क्यूबिक मीटर
4.	एमडीएस गौशाला, धोबी	85 क्यूबिक मीटर
5.	श्री दीपक यादव, गांव हंसका	85 क्यूबिक मीटर

इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 7330 क्यूबिक मीटर क्षमता के कुल 1119 संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

9. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 19/6/2016-5 विद्युत दिनांक 31-3-2016 द्वारा 100 किलोवाट और उससे ऊपर का कुल भार वाली कुछ श्रेणियों के भवनों पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कियान्यवन को अनिवार्य के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये। विभाग ने सरकारी भवनों का मुफ्त ऊर्जा आडिट करने की भी एक स्कीम तैयार की है। स्टैक होल्डरों के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और बॉयलर ऑपरेटरों के लिए ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

10. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने भवनों/इकाइयों में बिजली की बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान, विभाग ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पर 8.00 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए कम्प्यूटर तथा अन साफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/डाटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके, विभाग सूचना प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित कर रहा है। इसी कार्य हेतु विभाग द्वारा वार्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नई साफ्टवेयर एवं तकनीक के कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 6.04 लाख रु. की राशि खर्च की गई। विभाग की वेबसाइट को नवीतम स्कीमों के साथ नियमित रूप से अपडेट भी किया जाता है जैसे निविदा और अन्य नवीन परियोजनाएँ/स्कीमों के बारे में।

12. बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिये उसमें युवा वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। इसीलिये विभाग ने अपने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में छात्रों को सम्मिलित करने के लिये बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम तैयार किया है।

13. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा और वाहीय वातावरण की ऊर्जा के ऊर्जा प्रबंधन में समुचित उपयोग के साथ ऊर्जा सक्षम भवन निर्माण डिजाईन एवं निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग सोलर पैसिव वास्तुकला को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम चला रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे भवनों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए डी.पी.आर. की लागत का 50 प्रतिशत, (अधिकतम 2.00 लाख रूपए तक) की सहायता देता है। मंत्रालय सोलर पैसिव भवनों के निर्माण पर भी निर्माण लागत का 10 प्रतिशत, (अधिकतम 50.00 लाख रूपए तक) की वित्तीय सहायता देता है। राज्य सरकार से भी डी.पी. आर. बनाने के लिए भवन की लागत का 0.75 प्रतिशत (अधिकतम 25,000/- रूपए तक) तथा भवन निर्माण के लिए निर्माण लागत का 5 प्रतिशत (अधिकतम 5.00 लाख रूपए तक) की सहायता दी जाती है।

विभाग का कार्यालय भवन ऊर्जा कुशल और सौर निष्क्रिय प्रौद्योगिकियों पर आधार सेक्टर-17, पंचकूला में बनाया गया है। भवन के रख-रखाव/गृह व्यवस्था/दख-रेख पर 25.00 लाख रूपये की राशि उपयोग की गई।

14. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम


वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार गतिविधियों पर 28.63 लाख रु. की धन राशि व्य की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये :-

- अक्षय ऊर्जा पर प्रदर्शनीयां लगाई गई
- जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- महत्वपूर्ण स्थलों पर होर्डिंगस लगवाए गए
- सभी जिलों में दीवारों पर विज्ञापन छपवाए गए
- विभिन्न जिलों प्रदर्शनी वाहन को जागरूकता हेतू भेजा गया
- विभिन्न अखबारों तथा मैगजीनों में विज्ञापन छपवाए गए

15. चौकसी विभाग को भेजी गई शिकायतों सम्बन्धी

इस विभाग के श्री सोमवीर सिंह, परियोजना अधिकारी और श्री आर.एस. पूनिया, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध एक जॉच / शिकायत लम्बित थी जिसकी जॉच रिपोर्ट दिनांक 08-01-2016 को प्राप्त हो चुकी है जिसमें उक्त दोनों अधिकारियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, श्री वी.एस.गोलन परियोजना अधिकारी, श्री जगीर सिंह परियोजना अधिकारी, श्री अजीत कुमार परियोजना अधिकारी और श्री श्रीओम गोयल, सहायक परियोजना अधिकारी को फर्म द्वारा सौर पथ प्रकाश प्रणाली के एसेम्बल हेतु आपूर्ति के लिए ब्रैकेट 1.5 मीटर लम्बाई की बजाय एक मीटर लम्बाई के स्वीकार करने की अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टता से दोषी पाया गया। चौकसी विभाग ने इनके खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएँ (दण्ड एवं अपील), 1987 के नियम-7 के तहत कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी। परन्तु सरकार ने आरोपों की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएँ (दण्ड एवं अपील), 1987 के नियम-8 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया जो विचाराधीन है।

दिनांक चण्डीगढ़
15 मार्च, 2017


(अंकुर गुप्ता)

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

वार्षिक योजना 2015-2016
स्कीम-वार खर्च का विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक कार्य योजना 2015-2016 का वास्तविक खर्च (लाखों में)
1.	(i) 2810- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रशासनिक व्यवस्था / गैर योजना	110.24
	(ii) 2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत / गैर योजना	
	क. हरेडा की प्रशासनिक व्यवस्था	115.00
	ख. सीबीपी / आईबीपी / एनएसबीपी	15.48
	ग. सूचना तकनीकी योजना	6.04
	योग (1)	246.76
2.	(i) 2810- NCSE प्रशासनिक व्यवस्था / योजना	65.56
	(ii) 2810- NCSE योजना के अन्तर्गत ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर खर्च	90.98
	कुल योग (1+2)	403.30
3.	(i) 3425-ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम-राज्य योजना	135.08
	(ii) 3425-ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम गैर योजना	326.70
	कुल योग (1+2+3)	865.08

वर्ष 2015-2016 में अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा में पदों की

क्रम	पद संज्ञा/वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	31.3.16 को भरे हुए पद	रिक्त
1.	निदेशक	1	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी) 37400.67000 ग्रेड पे 8700	1	—	1
3.	परियोजना निदेशक 15600-39100- ग्रेड पे 6400	1	1	—
4.	परियोजना अधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 4600	6	5	1
5.	लेखाधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 5400	1	1	—
6.	अधीक्षक 9300-34800- ग्रेड पे 4200	1	1	—
7.	निजी सचिव 9300-34800- ग्रेड पे 4200	1	—	1
8.	प्रोग्रामर 9300-34800- ग्रेड पे 4200	1	1	—
9.	निजी सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 4000	1	1	—
10.	सहायक परियोजना अधिकारी/ जूनियर अभियन्ता 9300-34800- ग्रेड पे 3600	6	4	2
11.	सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 3600	2	1	1
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 9300-34800- ग्रेड पे 3600	2	2	—
13.	चालक 5200-20200- ग्रेड पे 2400	3	3	—
14.	आशुटंकक 5200-20200- ग्रेड पे 1900	3	1	2

15.	लिपिक 5200-20200- ग्रेड पे 1900	4	3	1
16.	सेवादार 4440-7440- ग्रेड पे 1300	3	3	-
17.	स्वीपर 4440-7440- ग्रेड पे 1300	1	1	-
18.	चौकीदार 4440-7440- ग्रेड पे 1300	1	1	-
कुल(1)		39	29	10

क्षेत्रीय कार्यालय

1.	परियोजना अधिकारी - 9300-34800- ग्रेड पे 4600	20	19	1
2.	सहायक परियोजना अधिकारी - 9300-34800- ग्रेड पे 3600	20	19	1
3.	तकनीकी सहायक 5200-20200- ग्रेड पे 2400	20	14	6
4.	आशुटकक 5200-20200- ग्रेड पे 1900	12	10	2
5.	लिपिक एवं कैशियर 5200-20200- ग्रेड पे 1900	20	16	4
6.	सेवादार 4440-7440- ग्रेड पे 1300	21	12	9
कुल(2)		113	90	23
कुल (1+2)		152	119	33

वर्ष 2013-2014 में हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेन्सी में पदों की स्थिति का विवरण

क्रम	पदसंज्ञा/वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए	रिक्त
1.	मुख्य वैज्ञानिक अभियन्ता 15600-39100- ग्रेड पे 8000	1	1	-
2.	वैज्ञानिक अभियन्ता-ए 15600-39100- ग्रेड पे 6000	1	1	-
3.	वरिष्ठ तकनीकी प्रबन्धक 9300-34800- ग्रेड पे 5400	2	1	1
4.	तकनीकी प्रबन्धक 9300-34800- ग्रेड पे 4200	3	1	2
5.	अनुभाग अधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 4600	1	1	-
6.	निजी सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 4000	1	1	-
7.	सहायक 9300-34800 ग्रेड पे 3600	2	2	-
8.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 9300-34800- ग्रेड पे 3600	2	1	1
9.	जूनियर लाईब्रेरीयन 5200-20200 ग्रेड पे 2400	1	-	1
10.	तकनीशियन 5200-20200- ग्रेड पे 2400	1	-	1
11.	आशुलिपिक 5200-20200-ग्रेड पे 1900	2	-	2
12.	लिपिक-कम-कैशियर 5200-20200- ग्रेड पे 1900	3	1	2
13.	चालक 5200-20200- ग्रेड पे 2400	2	1	1
14.	सेवादार- 4440-7440- ग्रेड पे 1300	4	1	3
		26	12	14